



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं. 349 का नवीकरण/
RENEWAL OF TYPE APPROVAL No. 349**

**विषय/ SUB:- आँटी जी सूट एमके-II कटअवे टाइप
Anti G Suit Mk-II Cutaway Type**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स बंगाल वाटर प्रूफ लिमिटेड, कलकत्ता - 700 017, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "आँटी जी सूट एमके-II कटअवे टाइप" को पत्र सं. ऐरो/आरडी/124/105/3 दिनांक 17 जुलाई 1981 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 349 जारी किया गया था और तदुपरांत सेमिलाक/5070/टी.ए-349आर दिनांक 19 अक्टूबर 2001 द्वारा 31 दिसम्बर 2004 तक नवीकरण किया गया था।

This is to state that "Anti G Suit Mk-II Cutaway Type" developed and manufactured by M/s Bengal Water Proof Ltd., Calcutta-700 017, has been issued with Type Approval No. 349 vide letter No. AERO/RD-124/105/3 dated 17th July 1981 and was subsequently renewed up to 31st Dec 2004 vide letter reference No. CEMILAC/5070/TA-349R dt. 19th Oct 2001.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन को और नवीकरण किया जाता है तथा यह 31 दिसंबर 2009 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए.(वायुयान), से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed and is valid up to 31st Dec 2009. The vendor shall request RCMA (Aircraft), for subsequent renewals, three months before the expiry of Type Approval.

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 349R
दिनांक/Date : 17 Dec 2004
फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

(कंचन बिस्वास/KANCHAN BISWAS)
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Offg Chief Executive (Airworthiness)